

No. 5/21/2018-1AR
GOVERNMENT OF HARYANA
CHIEF SECRETARY'S OFFICE
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
Chandigarh the, 11th June, 2018

Subject: Appointment of State Information Commissioners in the State Information Commission, Haryana.

The Government of Haryana has constituted a body under the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) known as the State Information Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the Act. The Commission is located in Chandigarh. The Commission shall have the Chief Information Commissioner and upto ten Information Commissioners. The powers and functions of the Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners are as per chapter V of the Act.

2. It is proposed to appoint two State Information Commissioners in the Commission. The Act provides that the State Information Commissioner shall be person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass-media or administration and governance.

3. Further, the State Information Commissioners shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State, or Union Territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business, or pursuing any profession. It is clarified that cessation/termination of holding of office of profit, pursuing any profession or carrying any business is a condition precedent to the appointment of a person as State Information Commissioner.

4. State Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier. The salary and allowances payable to State Information Commissioner shall be the same as that of Chief Secretary of the State Government subject to adjustment of the pensionary /retirement benefits availed by him, if any, in accordance with the provisions of the Act.

5. Persons fulfilling the criteria for appointment as State Information Commissioner and interested for appointment to the post may send their particulars in the enclosed proforma by post to the office of Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Administrative Reforms Department, Room No. 43, 9th floor, Haryana Civil Secretariat, Sector-1, Chandigarh by 11.07.2018. Persons who are serving under the State/Central Government or any other Organization, may send their particulars through proper channel.

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Administrative Reforms Department.

Proforma for sending particulars for consideration for the post of State Information Commissioner in the State Information Commission, Haryana

Please affix
the latest
passport size
photograph

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Present Address:
4. Contact No.
 - a) Telephone (along with STD code)
 - b) Mobile
 - c) Fax
5. E-mail Address:
6. Educational Qualification:
7. Area of Eminence:
8. Present Occupation:
9. Whether any criminal case has been registered against you?
If yes, details thereof.
10. Whether you have been charge-sheeted for any criminal offence?
If yes, details thereof.
11. Whether you have been convicted by any competent court for any criminal offence?
If yes, details thereof.
12. Achievements/Work Experience
(in brief):

Date:

Signature:

Place:

Name:

दिनांक चण्डीगढ़, 11 जून, 2018

विषय:- हरियाणा राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति बारे ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गये कार्यों को करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बाडी का गठन किया गया है, जो कि हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग चण्डीगढ़ में स्थित है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस तक सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की शक्तियां तथा कार्य अधिनियम के अध्याय 5 के अनुसार होंगे ।

2. हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में दो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाला समाज में प्रख्यात व्यक्ति होगा।

3. राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई व्यवसाय नहीं करेगा । एक व्यक्ति की राज्य सूचना आयुक्त की एक पूर्व शर्त होगी की वह किसी लाभ के पद पर है, किसी व्यवसाय में कार्यरत है या कोई व्यापार कर रहा है, उस कार्य/व्यवसाय को छोड़ना पड़ेगा।

4. राज्य सूचना आयुक्त जिस तारीख से इस पद के लिए वह अपना कार्यभार ग्रहण करता है, वह पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए पद धारण करेगा। राज्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते मुख्य सचिव के समान होंगे। यदि वह कोई पेंशनरी/सेवा निवृत्त लाभ प्राप्त कर रहा है तो अधिनियम में दिए गए प्रावधान अनुसार उसे वेतन में समायोजित कर लिया जाएगा।

5. राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एंवम् नियुक्ति के लिए मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्ति इन हिदायतों के साथ संलग्न प्रोफार्मा में अपना विवरण अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के कार्यालय कमरा नं0 43, 9वीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ को दिनांक 11.07.2018 तक भेज सकते हैं। जो व्यक्ति राज्य/केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन सेवारत है, वह अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवाएगा ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
प्रशासकीय सुधार विभाग

हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए प्रोफार्मा

नवीनतम पासपोर्ट

आकार का फोटो

चिपकार्यें

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. वर्तमान पता
4. सम्पर्क नं०
 - क) दूरभाष (एस०टी०डी० कोड सहित)
 - ख) मोबाईल:
 - ग) फ़ैक्स
5. ई-मेल पता:
6. शैक्षणिक योग्यता:
7. प्रतिष्ठिता का क्षेत्र:
8. वर्तमान व्यवसाय:
9. क्या आपके खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है? यदि हाँ, तो उसका विवरण ।
10. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किये गये हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण ।
11. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण ।
12. उपलब्धियां/काम करने का अनुभव :
(संक्षेप में)

दिनांक:

हस्ताक्षर

स्थान:

नाम: